न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस.)

प्रार्थीगण

1. श्री बसन्त कुमार पुत्र श्री पुत्र श्री डायाराम कुम्हार जाति कुम्हार निवासी रामपुरा तहसील व जिला सिरोही।
2. श्री डायाराम पुत्र श्री गलबाराम कुम्हार जाति कुम्हार निवासी रामपुरा तहसील व जिला सिरोही।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. सरपंच, ग्राम पंचायत, रामपुरा, तहसील– सिरोही, जिला– सिरोही।
2. श्री शंकरलाल पुत्र स्व. श्री भूबाराम कुम्हार जाति कुम्हार निवासी रामपुरा तहसील व जिला सिरोही।
3. श्री प्रकाश कुमार पुत्र स्व. श्री भूबाराम कुम्हार जाति कुम्हार निवासी रामपुरा तहसील व जिला सिरोही।
4. श्री जवानाराम पुत्र स्व. श्री भूबाराम कुम्हार जाति कुम्हार निवासी रामपुरा तहसील व जिला सिरोही।
5. मृतका श्रीमती भूरीदेवी पत्नि स्व. श्री भूबाराम कुम्हार जाति कुम्हार निवासी रामपुरा तहसील व जिला सिरोही।
6. श्रीमती लुंगीदेवी पुत्री स्व. श्री भूबाराम कुम्हार पत्नि श्री नीमाराम कुम्हार जाति कुम्हार निवासी रामपुरा हाल कालन्द्री तहसील व जिला सिरोही।
7. श्रीमती तीजादेवी पुत्री स्व. श्री भूबाराम कुम्हार पत्नि श्री समरथाराम कुम्हार जाति कुम्हार निवासी रामपुरा हाल नवाखेडा रामपुरा तहसील व जिला सिरोही।
8. श्रीमती भागुदेवी पुत्री स्व. श्री भूबाराम कुम्हार पत्नि श्री सोपाराम कुम्हार जाति कुम्हार निवासी रामपुरा हाल माकरोडा तहसील व जिला सिरोही।
9. श्रीमती शारदा देवी पुत्री स्व. श्री भूबाराम कुम्हार पत्नि श्री सोमाराम कुम्हार जाति कुम्हार निवासी रामपुरा हाल माकरोडा तहसील व जिला सिरोही।

पंचायत निगरानी संख्याः 12/2024

"निगरानी आवेदन अर्न्तगत धारा 97(1) राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994"

उपस्थितिः

1. अधिवक्ता श्री नारायणलाल कुम्हार, प्रार्थीगण की ओर से।
2. अधिवक्ता श्री योगेश माली, अप्रार्थी संख्या–1(एक) की ओर से।
3. अधिवक्ता श्री नगेन्द्र मेडतिया, अप्रार्थी संख्या–2 (एक), 3(तीन) व 4(चार) की ओर से।

–: निर्णय :– **दिनांक 21 अप्रेल, 2026**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थीगण की ओर से यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, रामपुरा द्वारा श्री भूबाराम पुत्र श्री पुनमाजी कुम्हार, जाति– कुम्हार, निवासी– रामपुरा के पक्ष में राजस्थान पंचायत सामान्य नियम, 1961 के नियम 266 के तहत क्षेत्रफल 400 वर्गफीट भूमि का जारी पट्टा संख्या 284 दिनांक 15–7–1981 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत निगरानी आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रकरण की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या– 1 (एक) की ओर से अधिवक्ता श्री योगेश माली उपस्थित हुये। अप्रार्थी संख्या–2 (एक), 3(तीन) व 4(चार) की ओर से अधिवक्ता श्री नगेन्द्र मेडतिया उपस्थित हुये एवं अप्रार्थी संख्या–2 (एक),

.....पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर * सिरोही *

3(तीन) व 4(चार) की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया। प्रकरण में अप्रार्थी संख्याः 6 से 9 को नोटिस की तामिल होने पर भी उनके द्वारा इस न्यायालय में उपस्थिति नहीं दी गई। प्रकरण में सुनवाई दिनांक 16.12.2025 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी., 151 सी.पी.सी. को स्वीकार कर मृतक अप्रार्थी संख्या 5 का नाम हटाने के आदेश जारी किए गए।

(3) बहस सुनी गई। प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री कुम्हार ने बहस के दौरान निगरानी आवेदन में अंकित कथनों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अप्रार्थी संख्या एक द्वारा स्वर्गीय श्री भुबाराम पुत्र श्री पुनमाजी कुम्हार जाति कुम्हार निवासी रामपुरा तहसील सिरोही जिला सिरोही राजस्थान के हक में तथाकथित पट्टा संख्या 284 दिनांक 15.07.1981 को कुल क्षेत्रफल 400 वर्गफुट का जारी किया गया है, जो सर्वथा गलत व विधि विरूद्ध जारी किया गया है। भूबाराम पुत्र श्री पुनमाजी कुम्हार की मृत्यु हो चुकी है अप्रार्थीगण संख्या दो से नौ स्वर्गीय श्री भूबाराम पुत्र श्री पुनमाजी कुम्हार निवासी रामपुरा के वारिसान व उत्तराधिकारीगण है। उपरोक्त पट्टा सार्वजनिक उपयोग की रास्ते की भूमि को शामिल करते हुए जारी किया गया है, जो सर्वथा गलत व विधि विरूद्ध होने से निरस्त किए जाने योग्य है। उपरोक्त पट्टा अप्रार्थी संख्या एक को जारी करने का कोई अधिकार नही है तथा सार्वजनिक रास्ते उपयोग की रास्ते की भूमि का पट्टा जारी करने का भी ग्राम पंचायत को कोई अधिकार नहीं है, रास्ते की भूमि का स्वामित्व राज्य सरकार में निहित है, अप्रार्थी संख्या एक के द्वारा रास्ते की भूमि का पट्टा बिना किसी अधिकार के जारी किया गया है। ग्राम पंचायत रामुपरा के द्वारा अप्रार्थी संख्या दो से नौ के पिताजी भूबाराम पुत्र श्री पुनमाजी कुम्हार निवासी रामपुरा के हक राजस्थान पंचायत एंव (सामान्य), 1961 के नियम 266 के अन्तर्गत विक्रय किया है, जो कानुनन गलत किया है, उक्त नियम में केवल कब्जा शुदा पुराने आवास का पट्टा दिया जा सकता है। स्वर्गीय श्री भुबाराम पुत्र श्री पुनमाजी कुम्हार व उसके वारिसान व उत्तराधिकारीगण अप्रार्थीगण संख्या दो से नौ का वादग्रस्त पट्टा की भूमि पर कभी कोई कब्जा या निर्माण नहीं था। अप्रार्थीगण संख्या दो से नौ के द्वारा अब उक्त रास्ता की भूमि पर अतिक्रमण कर जबरन निर्माण कार्य करने के फिराक में है, नियम 266 के तहत उक्त पट्टा जारी किया है, जो सर्वथा विधि विरुद्ध होने से निरस्त किए जाने योग्य है। पट्टा जारी किए जाने से पूर्व विधि के आज्ञापक प्रावधानों की पालना ही नहीं की गई है। अप्रार्थी संख्या एक ने स्वर्गीय भूबाराम व अप्रार्थी संख्या दो से नौ के साथ मिलावट कर विधि विरूद्ध अप्रार्थीगण संख्या दो से नौ के पिताजी भूबाराम पुत्र श्री पुनमाजी के हक में पट्टा करने बताया गया है, अप्रार्थीगण संख्या दो से नौ के पिता स्वर्गीय श्री भूबाराम पुत्र श्री पुनमाजी कुम्हार के द्वारा पट्टा हेतु कोई आवेदन नही किया है, तथा न ही ग्राम पंचायत रामपुरा में उक्त पट्टे के सम्बन्ध में कोई रेकर्ड है। जिससे पुर्णतया साबित है कि उक्त पट्टा सरासर फर्जी व कुटरचित जारी किया गया है। उक्त पट्टे के सम्बन्ध मे ग्राम पंचायत रामपुरा में किसी भी प्रकार का कोई रेकर्ड नही है तथा न ही कोई मिसल। उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि उक्त विवादग्रस्त पट्टा के सम्बन्ध में सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्व की तारीख में ही की गई है। उक्त तमाम कार्यवाही अप्रार्थी संख्या एक के द्वारा अप्रार्थी संख्या दो से नौ के पिताजी स्वर्गीय भूबाराम को अनुचित लाभ पहुंचाने के दुर्भावनापूर्ण आशय से की गई है। इस प्रकार भी पट्टा निरस्त किए जाने योग्य है। यह कि तथाकथित पट्टा जारी करने पर कोई आपत्ति नोटिस कभी भी जारी नही किया गया है तथा न ही आम चौराहा, विवादित स्थल के पास चस्पा किया गया है। अप्रार्थीगण संख्या दो से नौ के पिताजी स्वर्गीय श्री भूबाराम कुम्हार का कभी कोई कब्जा नही रहा है तथा न ही अप्रार्थीगण संख्या दो से नौ का भी मौके पर कभी कोई कब्जा रहा है, तथा न ही भूबाराम के

.....पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर * सिरोही * राजस्थान
सत्यमेव जयते

पूर्वज का भी कोई कब्जा रहा है, आज भी उक्त भूमि को सार्वजनिक रास्ते की भूमि के रूप में उपयोग किया जा रहा है, मौके पर रास्ता है, किसी का कोई कब्जा नहीं रहा है। रास्ते की भूमि का कभी कोई पट्टा जारी नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि उक्त पट्टा निरस्त किए जाने योग्य है। यह कि अप्रार्थी संख्या एक के द्वारा आम रास्ता की भूमि का तथाकथित पट्टा अप्रार्थीगण संख्या दो से नौ के पिताजी भूबाराम कुम्हार के हक में जारी किया गया है. जिससे मौके पर आम रास्ते को भी अवरूद्ध किया जा सकता है। जिस कारण प्रार्थीगण व अन्य आमजन रास्ते की भूमि का उपयोग नहीं कर पा सकेंगे। इस प्रकार आम रास्ता की भूमि का पट्टा जारी किया गया है, जो निरस्त किए जाने योग्य है। अप्रार्थी संख्या एक द्वारा अप्रार्थी संख्या दो से नौ के पिताजी भूबाराम कुम्हार के हक में जारी किया गया पट्टा रूपये 68/— अक्षरे अडसठ रूपये प्रतिफल होने से उसका पंजीयन आवश्यक है, अप्रार्थी संख्या दो से नौ के पिताजी भूबाराम कुम्हार के हक में जारी पट्टे का पंजीयन नही होने से भी पट्टा निरस्त किए जाने योग्य है। ग्राम पंचायत को सार्वजनिक उपयोग की गली का पट्टा किसी भी व्यक्ति के हक में जारी करने का कोई अधिकार नही है, फिर भी अप्रार्थी संख्या एक व स्वर्गीय भूबाराम कुम्हार व अप्रार्थीगण संख्या दो से नौ ने मिलावट कर आम जन के उपयोग की गली व रास्ते का पट्टा अपने हक में जारी करवाया है, जो विधि विरूद्ध व गलत जारी किया गया है, इस प्रकार भी पट्टा निरस्त किए जाने योग्य है। प्रार्थी संख्या एक के द्वारा तथाकथित फर्जी व कूटरचित पट्टे की प्रमाणित प्रति चाही गई लेकिन अप्रार्थी संख्या एक के द्वारा उक्त तथाकथित फर्जी व कुटरचित पट्टे के सम्बन्ध मे रेकर्ड ग्राम पंचायत में उपलब्ध नही होना बताया गया है, जिससे स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत रामपुरा के द्वारा ऐसा कोई पट्टा जारी नहो किया गया है जिससे पूर्णतया साबित है कि उक्त पट्टा कानूनन निरस्त योग्य है। अतः प्रार्थीगण का निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, रामपुरा द्वारा श्री भूबाराम पुत्र श्री पुनमाजी कुम्हार, के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 284 दिनांक 15—7—1981 को निरस्त किया जावे। जबकि अप्रार्थी संख्या 2 (एक), 3(तीन) व 4(चार) दलपत के विद्वान अधिवक्ता श्री मेडतिया ने जबाव में अंकित कथनों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत, रामपुरा द्वारा अप्रार्थी दो से नौ के पूर्वरसाधिकारी श्री भूबाराम पुत्र श्री पुनमाजी कुम्हार, के नाम से पट्टा विलेख संख्या 284 दिनांक 15—07—1981 को जारी किया हुआ है जो ग्राम पंचायत, रामपुरा द्वारा सम्पूर्ण विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए मौके की जाँच कर मौके पर नाप जोख कर नियमानुसार जारी किया गया है तथा उक्त पट्टे शुदा भूमि पर अप्रार्थी संख्या दो से नौ के पूर्वरसाधिकारी श्री भूबाराम का उनके जीवन काल लगातार कब्जा भोगवटा व स्वामित्व रहा है। वादग्रस्त सम्पत्ति पर भूबारामजी अपने पुरे जीवनकाल तक काबिज रहे तथा उनके जीवनकाल से ही अप्रार्थीगण उक्त सम्पत्ति पर काबिज है। पट्टा गलत व विधि विरूद्ध जारी करने का कथन गलत है। वादग्रस्त पट्टा की भूमि में सार्वजनिक रास्ते की भूमि एक इंच भी शामिल नहीं है। पट्टा संख्या 284 की भूमि सार्वजनिक रास्ता की भूमि नहीं है तथा न ही कभी भी रास्ते के रूप में उपयोग में आई है। अप्रार्थीगण के स्वामीत्व कब्जे हक अधिकार की भूमि को आम रास्ते की भूमि बताकर गलत निगरानी प्रस्तुत की है, जो खारिज किए जाने योग्य है। ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा बिना अधिकार के जारी करने, भूमि विक्रय करने का अधिकार नहीं होने आदि समस्त कथन गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थीगण को यह निगरानी प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है, निगरानी खारिज किए जाने योग्य है। पट्टा संख्या 284 की सम्पत्ति पर भूबारामजी को पुराना आवास, कब्जा होने से विधि अनुसार पट्टा जारी किया गया था। पट्टा जारी किए जाने से पूर्व विधि के आज्ञापक प्रावधानों की पालना नहीं किए जाने, अप्रार्थी संख्या एक भूबारामजी व अप्रार्थीगण के साथ मिलावट कर पट्टा जारी करवाए जाने, पट्टा हेतु कोई

.....पेज चार पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही
सत्यमेव जयते

आवेदन नहीं करने, ग्राम पंचायत में कोई रेकर्ड नहीं होने, पट्टा सरासर फर्जी जारी किया हुआ गलत होने से अस्वीकार है। स्वर्गीय भूबारामजी के हक में ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा पुर्ण विधिक प्रक्रिया के तहत जारी किया गया था। रेकर्ड को सुरक्षित व संधारित करने का कार्य ग्राम पंचायत का है, यदि ग्राम पंचायत में रेकर्ड को सुरक्षित नहीं रखा गया तथा उसे खुर्द बुर्द कर दिया गया है तो उससे पट्टा की वैद्यता पर संदेह नहीं किया जा सकता है। गलत तथ्यों के आधार पर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है, जो खारिज किए जाने योग्य है। ग्राम पंचायत द्वारा उपरोक्त पट्टा 12.09.1981 में जारी किया गया है, जिसे करीब 44 वर्षों की लम्बी अवधि हो चुकी है। 30 वर्ष से अधिक पुराने दस्तावेज की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिन्ह कानुनन नहीं लगाया जा सकता है। इस सम्बंध में धारा 90 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान लागु होते है। जहाँ कि कोई तीस वर्ष पुराने दस्तावेजों के बारे में उपधारणा दस्तावेज, जिसका 30 वर्ष पुराना होना तात्पर्यित है या साबित किया गया है, ऐसी किसी अभिरक्षा में से जिसे न्यायालय उस विशिष्ठ मामले में उचित समझता है, पेश की गई है, वहाँ न्यायालय यह उपधारित कर सकेगा कि ऐसे दस्तावेज पर हस्ताक्षर, और उसका हर भाग, जिसका किसी विशिष्ठ व्यक्ति के हस्तलेख में होना तात्पर्यित है, उस व्यक्ति के हस्तलेख में है और निष्पादित या अनुप्रमाणित दस्तावेज होने की दशा में यह उपधारित कर सकेगा कि वह उन व्यक्तियों द्वारा सम्यक रूप से निष्पादित और अनुप्रमाणित की गई थी जिनके द्वारा उसका निष्पादित और अनुप्रमाणित होना तात्पर्यित है। इस मामले में भी पट्टा ग्राम पंचायत के पदाधिकारीयों द्वारा जारी किया गया है, जो 30 वर्ष से अधिक पुराना दस्तावेज है तथा पट्टा व उसकी सम्पति अप्रार्थीगण के कब्जे अधिकार में है। धारा 17 पंजीयन अधिनियम के तहत 100/– या उससे अधिक दस्तावेज का पंजीयन आवश्यक है। उक्त पट्टे का पंजीयन कतई आवश्यक नहीं था या है।

ग्राम पंचायत द्वारा उपरोक्त पट्टा 12.09.1981 में जारी किया गया है, जिसे करीब 44 वर्षों की लम्बी अवधि हो चुकी है। 30 वर्ष से अधिक पुराने दस्तावेज की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिन्ह कानुनन नहीं लगाया जा सकता है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी जाहिरा म्याद बाहर होने से खारिज किए जाने योग्य है। अप्रार्थीगण संख्या दो से नौ के पुश्तैनी स्वामीत्व तथा कब्जे का एक आवासीय सम्पत्ति गाँव रामपुरा के कुम्हारों को वास में आया हुआ है, जिसे संलग्न नजरी नक्षा में मार्क ए बी सी डी दर्शाया गया है तथा जिसकी चतुदर्शी व नाप निम्न है –

उत्तर :– भूराजी कुम्हार का मकान।
दक्षिण :– आम हीण (रास्ता)
पुर्व :– गली।
पश्चिम :– आम रास्ता व चौक।

नाप :– उत्तर –25 फीट, दक्षिण–25 फीट, पुर्व– 16 फीट, पश्चिम–16 फीट
कुल क्षेत्रफल 400 वर्गफीट
उपरोक्त नाप व चतुदर्शी की सम्पत्ति में अप्रार्थीगण के पिता स्वर्गीय श्री भूबाराम पुत्र पुनमाजी गोदी पुत्र वजाजी कुम्हार का पुराना कच्चा केल्हुपोष मकान बना हुआ था, परिवार के विस्तार के साथ साथ उक्त मकान छोटा होने के कारण अप्रार्थीगण ने अम्बाजी कॉलोनी में अपना आवास बनाया। उक्त सम्पत्ति का पट्टा संख्या 284/1981, दिनांक 12 सितम्बर, 1981 का ग्राम पंचायत रामपुरा द्वारा स्वर्गीय श्री भूबाराम पुत्र पुनमाजी गोदी पुत्र वजाजी कुम्हार निवासी रामपुरा के नाम से विधि अनुसार जारी किया गया है। उक्त सम्पत्ति अप्रार्थीगण की पुश्तैनी है, जिस पर अप्रार्थीगण अपने पिता के समय से काबिज होकर उपयोग व उपभोग कर रहे है। प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण की सम्पत्ति व उससे सम्बंधित पट्टा को विवादित करने का कोई अधिकार नहीं है।

.....पेज पांच पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

भूबारामजी का स्वर्गवास दिनांक 19.04.1995 को हो चुका है। भूबारामजी के जीवनकाल में ही उक्त आवासीय मकान कमजोर व जर्जर हो जाने के कारण उसमें निवास करना बंद कर दिया था। आज से करीब 20 बीस 22 बाईस वर्ष पुर्व उक्त सम्पत्ति पर बने आवासीय कच्चे केल्हुपोष मकान कमजोर व जर्जर हो जाने तथा निवास योग्य नहीं होने के कारण उसे हटा दिया गया तथा उसके स्थान पर नवनिर्माण हेतु दो ट्रोली पत्थर व दो ट्रोली ईटें डलवा दी गई थी, लेकीन उस पर निर्माण नहीं हो पाया था। अप्रार्थीगण ने अपनी उक्त सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु बाउण्ड्री वाल का निर्माण कार्य करने पर प्रार्थीगण मौके पर आए तथा अप्रार्थीगण के साथ झगडा फसाद कर निर्माण कार्य करने से रोकने लगे। अप्रार्थीगण के मजदूरों को भी झगडा कर वहाँ से भगा दिया। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण को समझाईश करने के काफी प्रयास किए लेकीन प्रार्थीगण के नहीं मानने व निर्माण कार्य में लगातार बाधा पहुँचाए जाने पर अप्रार्थीगण ने श्रीमान् सिविल न्यायाधीश महोदय, सिरोही के न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया तथा साथ ही स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया, जिसमें न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी कर प्रार्थीगण को निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न करने से रोका गया है।

अतः निवेदन है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी को सव्यय खारिज किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, रामपुरा द्वारा श्री भूबाराम पुत्र श्री पुनमाजी कुम्हार, जाति— कुम्हार, निवासी— रामपुरा के पक्ष में राजस्थान पंचायत सामान्य नियम, 1961 के नियम 266 के तहत क्षेत्रफल 400 वर्गफीट भूमि का जारी पट्टा संख्या 284 दिनांक 15—7—1981 को जारी किया गया है। इस संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि श्री भूबाराम पुत्र श्री पुनमाजी कुम्हार, जाति— कुम्हार के पक्ष में जारी उक्त पट्टा संख्या 284 दिनांक 15—7—1981 में अंकित चतुर्दशी में उत्तर दिशा में श्री भूराजी का मकान दर्शाया गया है एवं ग्राम पंचायत रामपुरा द्वारा श्री भूराजी के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 43, जो कि जनवरी 1964 में जारी किया गया था, जिसकी अंकित चतुर्दशी में दक्षिण दिशा में हीण दर्शाया गया है। चूंकि श्री भूराजी के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 43 प्रश्नगत पट्टा संख्या 284 से पहले जारी किया गया है एवं उक्त पट्टे में अंकित चतुर्दशी में दक्षिण दिशा में हीण अंकित होने से यह तथ्य स्पष्ट है कि उक्त प्रश्नगत पट्टा संख्या 284 हीण(रास्ता) की भूमि पर जारी किया गया है। इसके अलावा श्री महीपालसिंह अतिरिक्त विकास अधिकारी पंचायत समिति सिरोही द्वारा दिनांक 28.03.2024 को तैयार की गई जांच प्रतिवेदन रिपोर्ट में उक्त प्रश्नगत पट्टा संख्या 284 की भूमि रास्ते की भूमि होने के सम्बन्ध में उल्लेख किया गया है। इस प्रकार यह तथ्य पूर्णतया स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत, रामपुरा द्वारा श्री भूबाराम पुत्र श्री पुनमाजी कुम्हार, जाति— कुम्हार, निवासी— रामपुरा के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 284 दिनांक 15—7—1981 को रास्ते की भूमि पर जारी किया गया है। प्रार्थी अधिवक्ता का कथन है कि उक्त प्रश्नगत पट्टे के सम्बन्ध में कोई रेकर्ड ग्राम पंचायत रामपुरा कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। अप्रार्थी पक्ष का यह कथन सही है कि ग्राम पंचायत के रेकर्ड को सुरक्षित रुप से रखने व संधारित करने का दायित्व ग्राम पंचायत के सचिव व सरपंच का है, लेकिन इस प्रकरण में प्रश्नगत पट्टा संख्या 284 दिनांक 15—7—1981 से संबंधित किसी प्रकार का कोई रेकर्ड यथा पट्टे की ग्राम पंचायत कार्यालय प्रति, प्रस्ताव रजिस्टर से संबंधित पत्रावली व पंचायत में राशि जमा होने की रसीदें आदि ग्राम पंचायत, रामपुरा में उपलब्ध नहीं है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि प्रश्नगत पट्टा संख्या 284 दिनांक 15—7—1981 की वैधता संदिग्ध है।

.....पेज छः पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर * सिरोही * सत्यमेव जयते

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत निगरानी आवेदन प्रार्थी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 विरुद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, पंचायत, रामपुरा द्वारा श्री भूबाराम पुत्र श्री पुनमाजी कुम्हार, जाति– कुम्हार, निवासी– रामपुरा के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 284 दिनांक 15–7–1981 को निरस्त किया जाता है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 21 अप्रेल, 2026 को सर–ए–ईजलास सुनाया गया।

(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सिरोही